"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 फरवरी 2011—माघ 20, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तो के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** – (1) ये नियम छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) (राजपत्रित) सेवा नियम, 2010 कहलाएंगे ।
   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन;
   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग;
   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
   (घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ शासन;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछडा वर्ग" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क. एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडा वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) (राजपत्रित) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना** – छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हो, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हो।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि** – सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका** – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसे सेवाओं में एवं ऐसे पदों को धारण करते हों, जैसा कि शासन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदो की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये, अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी ।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीको को छोड़ जिनको उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।

(5) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश भी लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्तिः–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तेः–** सीधी भर्ती हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थातः–

(1) **आयुः–** (क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में निर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पुरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए। ये रियायत कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी प्रदेशों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि तक रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार

कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो या जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल है);

(4) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थीयों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियो के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, के लिये उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक होगी ।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 08 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुये छूट दी जायेगी किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टीपः– उपरोक्त खण्ड 8 (घ) (एक) तथा (दो) मे विहित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र देते है तो नियुक्ति के पात्र नही होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी एक आधार या एक से अधिक आधार पर आयु में छूट का लाभ दिया जायेगा किंतु शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु सभी लाभों को मिलाने पर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जायेगा ।

(2) **शैक्षणिक अहर्तायें तथा अनुभव** :– उसके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव होनी चाहिये जैसा कि अनुसूची–तीन के कॉलम (5) मे विहीत है ।

(3) **फीसः**– उसे आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हताएं** :– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगाः**– चयन के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

11. **चयन द्वारा सीधी भर्तीः**– (1) सेवा मे भर्ती के लिये चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा जैसा कि शासन आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य प्रावधान भी लागू होंगे ।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे तथा आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा ।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन ने दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुये, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (2) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(5) इस प्रकार रिक्तियों के भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य है, नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(6) इस प्रकार उपर्युक्त से भिन्न आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो महिला/विकलांग एवं भूवपूर्व सैनिक है, नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(7) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (6) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची:**— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की जिसे आयोग अधिक उपयुक्त समझे, वरीयता क्रम में सम्यक् रूप से व्यवस्थित नाम एवं अन्य विवरण तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हो, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हो ।

(3) सूची मे किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का ऐसी जांच के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हैं ।

13. **परिवीक्षा:**— सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति:**— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लेखित सदस्य होंगे।

परन्तु इस उपनियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो ।

(3) सभी पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी ।

(4) उप—नियम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रहेगी।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:**— (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षो की सेवा (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा अनुसूची—चार के कॉलम (4) में उल्लिखित अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हो ।

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति:— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति, वरिष्ठता—सह—योग्यता (सीनियारिटी—कम—मेरिट) के आधार पर की जानी हो अथवा पदोन्नति, अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर, वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी प्रवर्गो के लिये कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा । केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी ।

(3) इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने की दृष्टि से, प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा ।

(4) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा तथा पदोन्नति किये जाने हेतु प्रक्रिया, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश के अनुसार यथाविनिर्दिष्ट की जायेगी ।

16. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना** :– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।

(2) उपर्युक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी

(4) यदि चयन, पूनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, संवर्ग के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी ।

17. **आयोग से परामर्श**:– (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा आयोग को निम्नलिखित के साथ अग्रेषित की जायेगी :–

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट संवर्ग के ऐसे समस्त सदस्यों के अभिलेख, जिनका समिति की सिफारिशों पर अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो;

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट संवर्ग के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति द्वारा यथाअभिलिखित कारण; और

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन के विचार।

(2) यदि अध्यक्ष अथवा आयोग द्वारा नामांकित सदस्य, अध्यक्ष की ओर से बैठक में उपस्थित हो तथा बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष तथा समस्त सदस्यों के अनुमोदन तथा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर हो तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी ।

18. **चयन सूची**:– (1) आयोग, शासन से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर भी विचार करेगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो सूची अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन, उस पर यदि कोई मत प्रकट करें तो उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा ।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनूसूची–चार के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट संवर्गो के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी ।

(4) चयन सूची, सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम 15 के उप–नियम (3) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाये, किन्तु इसकी वैधता, इसके तैयार किये जाने की तरीख से 1 वर्ष की कुल कालावधि के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप स पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः**— (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु, उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची मे आये हो।

(2) साधारणतः ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो ।

20. **निर्वचनः**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

21. **शिथिलीकरणः**— इन नियमों में दी गयी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामलें में, जिस पर ये नियम लागू होते है, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

22. **निरसन तथा व्यावृत्तिः**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अतंर्गत आने वाले विषयों के संबंध एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

(2) इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी ।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 5 देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	+ ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मुख्य अभियंता	01	प्रथम श्रेणी	37400–67000	8700
कार्यपालन यंत्री (सिविल)	03	प्रथम श्रेणी	15600–39100	6600
सहायक यंत्री (सिविल)	04	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	5400

अनुसूची दो
(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवाओं के नाम	पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं के सदस्यों के स्थानांतरण द्वारा (नियम (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य अभियंता	01	...	...	100 %	कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर.
	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	03	...	33 %	67 %	67 % पद, कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
	सहायक यंत्री (सिविल)	04	25 %	---	75 %	75 % पद, कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हता

विभाग का नाम	सेवा तथा पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग	सहायक यंत्री (सिविल)	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य ।	

टीप:—छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के लिये आयु सीमा इस प्रकार शिथिलनीय होगी जैसा कि शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार यथाविनिर्दिष्ट की जाये ।

अनुसूची चार
(नियम 14 देखिये)

पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हता एवं विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	आगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिये अर्हता हेतु न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम (नियम 14 (1) देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन विभाग	सहायक यंत्री (सिविल) द्वितीय श्रेणी	6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (सिविल) प्रथम श्रेणी	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य– अध्यक्ष 2. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव / विशेष सचिव– सदस्य 3. मुख्य अभियंता–सदस्य
	उप यंत्री (सिविल) तृतीय श्रेणी	पत्रोपाधि धारक (डिप्लोमा होल्डर) के लिये 12 वर्ष तथा 8 वर्ष उनके लिये जो उपाधि धारक (डिग्री होल्डर) है ।	सहायक यंत्री (सिविल) द्वितीय श्रेणी	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य– अध्यक्ष 2. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव / विशेष सचिव– सदस्य 3. मुख्य अभियंता–सदस्य

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 3–10 / 2007 / 1–7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 9th February 2011

NOTIFICATION

No. F 3-10/2007/1-7. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) (Gazetted) Service, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) (Gazetted) Service Rules, 2010.
   (2) It shall come into force with effect from the date its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires, –
   (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Government;
   (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
   (c) "Examination" means the Competitive Examination conducted for recruitment under rule 11 ;
   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (f) "Schedule" means a schedule appended to these rules ;
   (g) "Scheduled Castes" means the Schedule Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of india;
   (h) "Scheduled Tribes" means the Schedule Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of india;
   (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84, Dated 26th December, 1984. as amended from time to time;
   (j) "Service" means the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) (Gazetted) Service ;
   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application** – Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service** – The service shall consist of the following persons, namely:-
   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I ;
   (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules ; and
   (3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.** – The classification of the service, the scales of pay attached there to and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I :

Provided that the Government may, from time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment** – (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules. shall be by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment through competitive examination/ selection ;

(b) By promotion of the members of Service ;

(c) By transfer of persons who hold such posts and in such services as may be specified in this behalf, by the Government.

(2) The number of the persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule II of the number of duty posts as specified in schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Not withstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the government may, with the concurrence of General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in sub-rule (1), as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment, the provision of Chhatisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, nusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and direction issued by the General Administration Department from time to time, shall be applicable.

7. **Appointment to the Service** – All Appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment** – In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) Age – (a) He must have attained the age a indicated in column (3) of Schedule III, and not attained the age as indicated in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates who are or have been employees of the Chhatishgarh Government to the extent and subject to the condition specified below :-

(i) A candidate who is a permanent/temporary Government Servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporary and applying for another post should not be more than 38 years of age. These concession shall also be admissible to the work charged employees and employees working in Project Implementation Committees;

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term "Retranched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state or of any of the regions for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term 'Ex-Serviceman' denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service, namely :-

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concession;

(2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on
   (a) completion of short term engagement ;
   (b) fulfillment of the conditions of enrolement.

(3) Officer (Military and Civil) discharged on completion of his contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(4) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(5) Ex-Serviceman invalidated out of service;

(6) Ex-Serviceman discharged on the ground that he is unlikely to become efficient soldier;

(7) Ex-Serviceman who is medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to 2 year in respect of green card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 year in respect of awarded superior caste partner of couple under the inter caste marriage incentive scheme;

(h) The general upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Pravirchandra Bhanjdeo Award and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit for candidates who are employees of Chhatishgarh State corporation/ board shall be up to 38 year;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary home guards and non commissioned officer of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note – The Candidates who are selected under the age concessions prescribed in clauses (8)(d)(1) and (2) will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

In no other case will these age limits be relaxed. Department candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(k) Any candidate gets benefit for age relaxation on aforesaid ground or more than one ground but inspite of all benefit the maximum age to enter in government service shall not be exceed 45 years.

(l) In addition to above, instructions given by the General Administration Department from time to time will be compiled.

(2) **Educational Qualifications and Experience–** He must possess the educational qualifications and experience as prescribed in column (5) of Schedule III .

(3) **Fees :-** He must pay the fees prescribed by the commission.

9. **Disqualifications** – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be Final** – The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not issued by the appointing authority shall be admitted to the examination/ interview.

11. **Direct recruitment by selection** – (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Government may in consultation with commission, from time to time, determine.

(2) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provision contained in Chhatisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon,

Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and other provison shall be applicable.

(3) 30 percent of posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997 and reservation shall be horizontal and compartmentwise.

(4) Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency for administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (2).

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) In filling the vacancies, other than aforesaid, to reserved, candidates, who are women/disabled and Ex-Serviceman military shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(7) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency for administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (6).

12. **List of Candidates recommended by the Commission** – (1) The Commission shall forward to the appointing authority the names and other details of candidates whom the commission considers most suitable, duly arranged in order of preference and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of candidates name in the list confers no rights to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Probation :-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by promotion** – (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Scheduled IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the propose of the constitution of the committee under this sub rule the provision of Section 8 of Chhatisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994); shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at interva; ordinarily not exceeding one year.

(3) All promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(4) Procedure for making promotion as specified in sub rule (3) shall be made in accordance with the instruction issued by the Government in the General Administration Department from time to time.

15. **Conditions regarding eligibility for promotion** – (1) The committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year, have completed such years of service, (whether officiating or substantive) in the years of the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent there by the Government as specified in column (3) o. schedule IV and are within the zone of consideration as mentioned in column (4) of schedule IV.

Explanation :- Manner of computation of eligibility for promotion - period of qualifying service on 1st january of the relevant year in which Department promotion committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/ pay scale of the post, and not from the joining of the cadre/ part of the service/ pay scale of the post.

(2) In such cases where promotion is to be made on the basis of seniority-cum-merit or promotion is to be made on the basis of seniority lefting unfit person, there shall be no zone of consideration for all categories. Only such number of cases of public servant shall be considered according to the seniority, which shall be sufficient to cover the number of existing and anticipated vacancies due to retirement during the year under each category.

(3) In addition to this, with a view of inclusion, in select list, the names of two public servant or 25 percent of the number of the public servant included in select list whichever in more, the names of the required number of the public servant shall be considered for each category to fill up the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(4) The promotion shall be done according to reservation roster prescribed for promotion by the Government.

(5) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhatishgarh Lok Seva(Padonnati) Niyam, 2003 and procedure for making promotion as specified shall be made accordance with the instruction issued by the Government in the General Administration Department from time to time.

16. **Preparation of the list of suitable officers** – (1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the cour.es of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this, a reserve list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of above said period.

(2) The preparation of list of suitable officers shall be made in accordance with the provision of Chhatishgarh Lok Séva(Padonnati) Niyam, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If, in the process of selection, review and revision, it is proposed to supersede any member of the cadre, then committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission – (1) The list prepared in accordance with rule 15 shall then be forwarded to the Commission by the Government, alongwith-

(i) the records of all persons included in the list :
(ii) the records of all member of the cadre as specified in column (2) of schedule IV who are proposed to be superseded on the recommendations of the committee;
(iii) the reasons as recorded by the committee for the proposed supersession of any member of the cadre as specified in column (2) of schedule IV; and
(iv) the observations of the Government on the recommendations of the committee.

2. If in the meeting of promotion committee, the member nominated by president or Commission attain the meeting on behalf of president and Proceeding of meeting is approved and duly signed by president and all members then aforesaid procedure under sub-rule (1) shall not be mandatory.

18. Select List – (1) The Commission shall consider the list prepared by the committee alongwith the other documents received form the Government and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from Government, the Commission shall inform the Government of changes proposed and, after taking into account the comments, if any, of the Government, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall from the select list for promotion of the members of cadre as specified in column (2) of schedule IV to the post as specified in column (4) of schedule IV.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (3) of the rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 1 year from the date of its preparation :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the Service from the select list – (1) Appointments of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commissic i before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment. there occurs any deterioration in his work. in the opinion of the Government, is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Interpretation** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation** – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. **Repeal and Saving** – (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for the scheduled castes and scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

SCHEDULE I
(See Rule 5)

Classification, Scale of pay and Number of post included in the Service

Name of posts included in the service	Total no. of duty posts	Classification	Scale of pay	+Grade Pay
1	2	3	4	5
Chief Engineer	01	Class I	37400&67000	8700
Executive Engineer (Civil)	03	Class I	15600&39100	6600
Assistant Engineer (Civil)	04	Class II	15600&39100	5400

SCHEDULE II
(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of the Department	Name of the services	Total no. of post	Percentage of the number of post to be filled			Remark
			By direct recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of the member of the service [See Rule 6(1)(b)]	By transfer of the member of the other service [See Rule 6(1)(c)]	
1	2	3	4	5	6	7
Genral Administration Department	Chief Engineer	01			100%	on deputation from Work Department
	Executive Engineer (Civil)	03		33%	67%	67% post on deputation from Work Department
	Assistant Engineer (Civil)	04	25%		75%	75% post on deputation from Work Department

SCHEDULE III
(See Rule 8)

Qualification for appointment by Direct Recruitment

Name of the Dept.	Name of Service and posts	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Genral Administration Department	Assistant Engineer (Civil)	21Years	35Years	Degree in Civil Engineering from a recognised University or its equivalent.	

Note- The age limit shall be relaxable for local resident of Chhattishgarh State as specified shall be made accordance with the instruction issued by the Government in the General Administration Department from time to time.

SCHEDULE IV
(See Rule 14)

Essential qualification for Promotion and Constitution of Departmental Promotion Committee

Name of the Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Minimum period to qualify for promotion to the next higher post	Name of service or posts to which promotion is to be made	Name of member or the Departmental Promotion Committee vide rule 14(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Genral Administration Department	Assistant Engineer (Civil) Class II	6 Years	Executive Engineer (Civil) Class I	1.Chairman of the Public Service Commission or a member nominated by him- Chairman. 2.Secretary/Special Secretary to Govt. of GAD – Member. 3.Chief Engineer- Member
	Sub-Engineer (Civil) Class III	12 years for diploma holder & 8 years for those who are degree holders	Assistant Engineer (Civil) Class II	1.Chairman of the Public Service Commission or a member nominated by him- Chairman. 2.Secretary/Special Secretary to Govt. of GAD – Member. 3.Chief Engineer.- Member

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.